

## FORM NO. |||

फर्दअहकाम

नियम (26)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....  
~~हरि नारायण~~ वनाम सरकार.....किस्म मु०.....  
 मिसल न०.....129/2025.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिपियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोहुकम की तामील मे जारी हुए
10/12/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ । जिसमे प्रार्थी नारायण ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र छोटा नि० आमल्दा नाम दर्ज है । ग्राम आमल्दा की जमांबदी सवत् 2074 से 77 के खसरा नंबर 101,292,295,393,394,395 में काश्तगार का नाम नारायण पुत्र छोटा दर्ज है । जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भूअभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र छोटा के स्थान पर नारायण पुत्र छोटूलाल दर्ज किया जावे । निर्णय आज दिनांक 11/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।</p>	

